कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)
कलेक्टोरेट परिसर, कम्पोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, कक्ष क्र.–211

दूरभाष क्र. 07755–264140 ई–मेल : mungelideo@gmail.com

क्र./स्था.03/सीधी भर्ती/स.शि.वि./प्रयोगशाला/2021/2488 मुंगेली, दिनांक 25/08/2021

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर, के पत्र क्रमांक एफ–आर नं. 1103/2019/20–दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था./विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422–पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत **सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)**, ई संवर्ग के पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सहायक शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वतेन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्ति करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.5 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है :–

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
13200043	ASHWANI KUMAR C/o RAJ KUMAR	SC	PIRDA, PIRDA, Janjgir-Champa, CHHATTISGARH, 495691	शा.उ.मा.वि. बैहाकापा, विख–मुंगेली	SC,

(एस.के.पाण्डेय)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

1. चयनित सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) 01 सितम्बर 2021 से 15 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. चयनित सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. छ.ग. शासन, वित विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2021 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा–

   प्रथम वर्ष – उस पद के वतेनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

CamS

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

4. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नवनियुक्त सहायक शिक्षक ई (एल.बी.) संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होगी।

नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में समान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभार से समाप्त की जावेगी।

6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

7. चयनित सहायक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।

8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी गई है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

9. प्रमाणित किया जाता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।

10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

11. संबंधित सहायक शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।

Scanned with CamScanner

12. अभ्यर्थी जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबंधित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

13. उपरोक्त आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका डब्ल्यू पी.एस. 591, 592, 593, 594 वर्ष 2012 डब्ल्यू.पी.एस. 10511/2019, 08/2021 तथा 1765/2021 तथा यह नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी।

(एस.के.पाण्डेय)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्र./स्था.03/सीधी भर्ती/स.शि.वि./प्रयोगशाला/2021/2489 मुंगेली, दिनांक 25/08/2021
प्रतिलिपि :–

1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
3/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रवती भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
5/ आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल को सादर सूचनार्थ।
6/ कलेक्टर, जिला–मुंगेली (छ.ग.) सादर सूचनार्थ।,
7/ संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
8/ जिला कोषालय अधिकारी, जिला–मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ।
9/ सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला–मुंगेली को सूचनार्थ। चयनित सहायक शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमति प्रदान करें, ताकि चयनित सहायक शिक्षक को विलम्ब न हो।
10/ सर्व संबंधित प्राचार्य शास. हाई/हा.से. स्कूल, जिला–मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् ही सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
11/ संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

Scanned with CamS